आरोपी सुमेरसिंह की ओर से अधिवक्ता श्री राजा चौधरी ने अर्थदण्ड राशि

500 / — रसीद बुक कमांक 682 / 100 / 30.08.2014 से अदा की गयी।

प्रकरण में आरोपी के रिहायी बाबद् ज्ञापन जारी किया जावे।

प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाकर नस्ती को विधिवत् अभिलेखागार दाखिल किया जावे।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

ALINATA PAROTO PAROTO STATE OF STATE OF